

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

परिशोधन प्रार्थना-पत्र संख्या - 23/2015/सिरोही.
(सम्बन्धित अपील संख्या - 1320/2013/सिरोही)

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन राजस्थान वृत्त-द्वितीय, जयपुर.अपीलार्थी (अप्रार्थी).

बनाम

मैसर्स बिनानी सीमेंट लिमिटेड,
पिण्डवाड़ा, जिला सिरोही.प्रत्यर्थी (प्रार्थी).

खण्डपीठ

श्री नत्थूराम, सदस्य

श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री एम. एल. पाटौदी, अभिभाषकप्रार्थी की ओर से.

श्री डी. पी. ओझा,

उप-राजकीय अभिभाषकअप्रार्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 01/11/2018

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से कर बोर्ड के अपील संख्या 1320/2013/सिरोही में पारित निर्णय दिनांक 26.2.2014 में किये गये निर्णय में कतिपय बिन्दुओं पर निर्णय नहीं दिये जाने को आक्षेपित करते हुए इनमें संशोधन करने का प्रार्थना-पत्र पेश किया गया है।

2. संशोधन प्रार्थना-पत्र पर दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी।

3. प्रार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि उक्त प्रकरण में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रवेश कर अधिनियम के तहत जो आदेश पारित किया गया था उसमें वैट अधिनियम के तहत कुछ वस्तुओं की खरीद पर क्लेम की गई आई.टी.सी. को इस आधार पर रिवर्स किया गया था कि खरीद किये गये माल चूंकि अपीलार्थी व्यवहारी के कैपिटल गुड्स की श्रेणी में नहीं आते हैं, क्योंकि वह माल व्यवहारी के माईनिंग कार्य हेतु प्रयुक्त होते हैं। इस बिन्दु पर कर बोर्ड के समक्ष दिये गये अपील आधारों में यह कथन भी किया गया था कि रूपये 79,87,733/- की आई.टी.सी. का वह क्लेम रिवर्स किया गया है जो व्यवहारी द्वारा क्लेम ही नहीं किया गया था क्योंकि वह समस्त आई.टी.सी. विभिन्न वाहनों की खरीद पर लिया जाना कर निर्धारण आदेश में बताया गया है जबकि कर निर्धारण अधिकारी को प्रस्तुत विवरणों में वह समस्त व्हिकल राज्य के बाहर से खरीद किये जाना दर्शाये गये थे एवं उस क्रय मूल्य पर किसी भी तरह की आई.टी.सी. व्यवहारी को देय नहीं थी एवं न ही ऐसी आई.टी.सी. का क्लेम वैट-07 में व्यवहारी द्वारा प्रदर्शित किया गया एवं न ही





लगातार.....2

वह क्लेम लिया गया था परन्तु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा केवल वाहनों की खरीद मूल्य को आधार बनाते हुए उस पर आई.टी.सी. क्लेम लेना मानते हुए उस राशि 79.87 लाख के क्लेम को रिवर्स कर दिया गया एवं इस बिन्दु पर माननीय राजस्थान कर बोर्ड द्वारा कोई विवेचन नहीं किया गया क्योंकि राजस्थान कर बोर्ड ने इस माल को भी माईनिंग आईटम की खरीद मानते हुए इसके आई.टी.सी. क्लेम को रिवर्स किये जाने की पुष्टि की गई ऐसी स्थिति में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा इस बिन्दु पर भी रिवर्स किये गये क्लेम को यथावत रख दिया गया। ऐसी स्थिति में इस बिन्दु पर निर्णय देते हुए त्रुटिपूर्ण रूप से रिवर्स की गई राशि की मांग को निरस्त करने का निर्देश दिया जावे एवं इस अनुसार आदेश में निर्णय दिया जाते हुए संशोधन किया जावे।


4. व्यवहारी के पक्ष को सुनवाई के पश्चात् विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक की भी सुनवाई की गई जिसमें संशोधन के बिन्दु पर कोई विरोध नहीं किया बल्कि इस सम्बन्ध में जांच करने के निर्देश दिये जाने का अनुरोध किया।


5. अतः प्रकरण में पूर्व में पारित निर्णय दिनांक 26.6.2014 में उक्त तथ्यों के अधीन निर्णय में संशोधन करते हुए निम्न पैरा अंकित किया जाता है :-

“वर्ष 2006-07 में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा रूपये 79,87,733/- की आई.टी.सी. क्लेम को रिवर्स किया गया, उस सम्बन्ध में कर निर्धारण अधिकारी जांच करें कि यदि वह क्लेम व्यवहारी द्वारा लिया ही नहीं गया है तब उसे रिवर्स किये जाने का आदेश समाप्त करें एवं उस अनुसार वसूली राशि में कमी करें, इस सम्बन्ध में विशिष्ट रूप से यह निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर यह विवरण प्रस्तुत करें कि उनके द्वारा इस राशि सम्बन्धी कोई क्लेम नहीं लिया गया है एवं कर निर्धारण अधिकारी यह जांच करें कि ऐसे वाहन यदि राज्य के बाहर से खरीद किये गये एवं उनका कोई क्लेम व्यवहारी द्वारा विवरण-पत्रों के जरिये एवं बहियात में नहीं लिया गया है तो त्रुटिपूर्ण रूप से रिवर्स किया जाना पाया जावे तो उस अनुसार रिवर्स राशि में कमी करते हुए आदेश में संशोधन करें।”

6. फलतः संशोधन प्रार्थना-पत्र को स्वीकार करते हुए उपरोक्तानुसार निर्देश कर निर्धारण अधिकारी को दिये जाते हैं।

7. निर्णय सुनाया गया।


(के. एल. जैन)
सदस्य


(नत्थूराम)
सदस्य